

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।**

क्रमांक:-निदे/नियु/1/प-58/डीपीसी/प्र.अ./222

दिनांक 28.2.2022

**:: कार्यालय-आदेश ::**

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला पे मेट्रिक्स लेवल-12 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक	विवरण
1.	श्री फुलचन्द मीणा (से.नि.दिनांक 31.07.2018)	अजजा	01.08.1958	2018-19	01.04.2018	-
2.	श्री गणेशराम डांगी (से.नि.दिनांक 30.11.2020)	अ.जा.	04.11.1960	2019-20	01.04.2019	-
3.	श्री अमोलकचन्द शर्मा		05.05.1963	2019-20	01.04.2019	-
4.	श्री रामविलास मीणा	अजजा	01.12.1962	2019-20	01.04.2019	मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के कारण अनारक्षित पद के विरुद्ध
5.	श्री नवीन कुमार सेनी		30.06.1966	2019-20	01.04.2019	-
6.	श्री रमाकान्त शर्मा		21.03.1965	2019-20	01.04.2019	-
7.	श्री अब्दुल हमीद शेख (से.नि.दिनांक 30.11.2021)		14.11.1961	2019-20	01.04.2019	-
8.	श्री रणजीत सिंह मीणा (निधन दिनांक 24.04.2021)	अजजा	09.08.1962	2020-21	01.04.2020	-
9.	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन (से.नि.दिनांक 30.04.2020)		24.04.1960	2020-21	01.04.2020	-
10.	श्री नेहरूलाल मीणा	अजजा	30.01.1963	2021-22	01.04.2021	मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के कारण अनारक्षित पद के विरुद्ध
11.	श्री महेन्द्रसिंह कर्मा	अ.जा.	20.08.1964	2021-22	25.04.2021	मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के कारण अनारक्षित पद के विरुद्ध
12.	श्री अमित पंचोली		14.08.1963	2021-22	01.12.2021	-
13.	श्री पर्वतसिंह सांखला		20.04.1962	2021-22	01.12.2021	-

क्रम संख्या-1,2,7,8 एवं 9 पर चयनित अधिकारी निधन/सेवानिवृत्त हो चुके हैं । अतः क्रम संख्या-1,2,7,8 एवं 9 पर चयनित अधिकारी को पदोन्नति पर काल्पनिक लाभ देय होगा । क्रम संख्या-3,4,5,6,10,11,12 एवं 13 पर अंकित पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करेंगे । क्रम संख्या-3,4,5,6,10,11,12 एवं 13 पर

[2]

अंकित अधिकारी को पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा ।

नोट:-उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद (यदि कोई हो) के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।



(हर्ष सावनसुखा)RAS  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

क्रमांक:-निदे/नियु/1/प-58/डीपीसी/प्र.अ./223 — 248

दिनांक 28.2.2022

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राज0-जयपुर ।
3. शासन उप सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.03 (02)खान/गुप-1/2022 दिनांक 21.02.2022 के सन्दर्भ में ।
4. अतिरिक्त निदेशक(खान),जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा ।
5. अतिरिक्त निदेशक(भूविज्ञान),जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा ।
7. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, अजमेर ।
8. खनि अभियन्ता, बून्दी-II/झुन्झुनू/उदयपुर/बिजोलिया/याचिका-जयपुर ।
9. अतिरिक्त निजी सचिव(निदेशक)/निजी सहायक(अनिप्र), के.का.,उदयपुर ।
10. डी.एम.जी.ओ.एम.एस.प्रकोष्ठ,/वा.का.मू.प्रकोष्ठ/बिल लिपिक, के.का.,उदयपुर ।
11. संबंधित श्री.....
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री...



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)